International Journal of Social Science and Humanities
www.humanitiesjournals.com
Online ISSN: 2664-8628
Received: 15-07-2026, Accepted: 16-08-2026, Published: 03-09-2026
Volume 8, Issue 3, 2026, Page No. 109-111

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में छत्तीसगढ़ के बस्तर रियासत की भू–राजस्व व्यवस्था: एक ऐतिहासिक एवं प्रशासनिक अध्ययन

Dr. Deepak Verma
Assistant Professor, Department of History, Govt. Rani Avanti Bai Lodhi College, Ghumka, Rajnandgao, Chattisgarh, India
DOI: https://doi.org/10.66856/ijssh.2026.8.3.8133

सारांश

प्रस्तुत शोध पत्र 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बस्तर रियासत (छत्तीसगढ़) की भू–राजस्व एवं प्रशासनिक व्यवस्था के क्रमिक विकास, स्वरूप और उसके सामाजिक–आर्थिक प्रभावों का गहन विश्लेषण करता है। 1854 में नागपुर राज्य के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय तथा 1886 के उपरांत बस्तर के प्रत्यक्ष ब्रिटिश नियंत्रण में आने के बाद, यहाँ की पारंपरिक वस्तु–विनिमय एवं कौड़ी–आधारित अर्थव्यवस्था का औपनिवेशिक भू–राजस्व सुधारों से सीधा संपर्क हुआ। इस अध्ययन में पारंपरिक आकलन इकाइयों जैसे 'नागर' (हल) एवं 'कोरकी', मालगुजारी/ठेकेदारी बंदोबस्तों के उतार–चढ़ाव, 1898 ई. में राय साहब पंडित आलमचंद द्वारा संचालित 'संक्षिप्त बंदोबस्त' तथा 1904 के मृदा–इकाई (Soil-Unit) आधारित कैडस्ट्रल सर्वेक्षण का आलोचनात्मक परीक्षण किया गया है। साथ ही, रियासत में प्रचलित गैर–कृषि उपकरों (पान पीती, घईता पोनी, भेंट–बेगार) और मुआफी व्यवस्था की पड़ताल करते हुए यह रेखांकित किया गया है कि किस प्रकार मध्यस्थ वर्ग (मालगुजारों/ठेकेदारों) के लाभ और राज्य की आय वृद्धि की नीतियों ने जनजातीय कृषकों पर कर का दोहरा बोझ डाला।

मूलशब्द: बस्तर रियासत, भू–राजस्व व्यवस्था, नागर प्रणाली, मालगुजारी बंदोबस्त, संक्षिप्त बंदोबस्त, घईता पोनी, भेंट–बेगार, औपनिवेशिक प्रशासन

छत्तीसगढ़ के सामंती (Feudatory) राज्यों में बस्तर रियासत क्षेत्रफल (लगभग 13,001 वर्ग मील) और भौगोलिक जटिलता की दृष्टि से सबसे वृहद क्षेत्र रहा है। सघन वनों, दुर्गम पहाड़ियों और जनजातीय बहुलता के कारण बस्तर सदियों तक बाह्य राजनीतिक हस्तक्षेपों से काफी हद तक अछूता रहा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में औपनिवेशिक सत्ता के विस्तार के साथ बस्तर का यह पृथक्करण समाप्त होने लगा।

1854 में नागपुर के विलय और 1865 में बस्तर को औपचारिक 'Feudatory State' का दर्जा दिए जाने के बाद ब्रिटिश अधिकारियों ने राज्य की आंतरिक वित्तीय व प्रशासनिक संरचना में प्रवेश किया। 1876 के प्रसिद्ध 'मुड़िया विद्रोह' (जिसका मुख्य कारण दीवान का कुप्रशासन और आर्थिक शोषण था) के पश्चात प्रशासनिक नियंत्रण ब्रिटिश अधिकारियों और उनके द्वारा नियुक्त दीवानों के हाथों में केंद्रित हो गया। इस कालखंड में बस्तर का भू–राजस्व ढांचा पारंपरिक सामुदायिक व्यवस्था से निकलकर व्यवस्थित औपनिवेशिक कराधान की ओर अग्रसर हुआ।

प्रारंभिक एवं पारंपरिक भू–मापन प्रणालियाँ

औपनिवेशिक सुधारों से पूर्व बस्तर की राजस्व प्रणाली अत्यधिक प्राथमिक और कृषि उपकरणों पर आधारित थी:

- **मापन की मूल इकाई ('नांगर')**: भूमि मापन का आधार कोई निश्चित भौगोलिक पैमाइश न होकर श्नागरश (हल) था। एक नागर उस भूमि क्षेत्र को व्यक्त करता था जिसे एक मौसम में बैलों की एक जोड़ी से जोता जा सके। प्रति नांगर कर 8 आना से लेकर 1 रूपया था।
- **पहाड़ी एवं जनजातीय क्षेत्रों में 'कोरकी'**: जहाँ हल चलाना संभव नहीं था (विशेषकर अबूझमाड़ और पहाड़ी परगनों में), वहाँ कुदाली जैसी संरचना एक श्कोरकीश पर 4 से 8 आने का कर लिया जाता था।
- **कौड़ी–आधारित मुद्रा प्रणाली**: 19वीं शताब्दी के मध्य तक नकद मुद्रा का प्रचलन नगण्य था। राजस्व का भुगतान कौड़ियों अथवा जिंस (अनाज, तेल, गाय, बकरा, बैल आदि) में होता था। संपूर्ण राज्य में आकलन की दर 5 दोगानी कौड़ी प्रति हल निर्धारित थी।
- **मुद्रा संक्रमण**: 1860 के दशक में जब दक्षिण बस्तर के सागौन (Teak) का व्यापार मद्रास के बाजारों से शुरू हुआ, तब रुपये का व्यापक प्रवेश हुआ। इसके फलस्वरूप कौड़ी का अवमूल्यन हुआ (25 दोगानी = 1 रुपया) और प्रति हल की दर लगभग 8 आने नकद निर्धारित हुई।

ठेकेदारी एवं मालगुजारी बंदोबस्त का विकासक्रम

मिस्टर बेरी के ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार बस्तर में मालगुजारी प्रणाली लागू होने के बाद कृषकों और राज्य के बीच मध्यस्थों की एक मजबूत श्रेणी विकसित हुई:

संवत् / वर्ष	बंदोबस्तकर्ता / संदर्भ	निर्धारित नकद दर (प्रति हल)	जिंस / अनाज की माँग (प्रति हल)	मुख्य प्रशासनिक प्रभाव
संवत् 1924 1867 ई.)	प्रथम मालगुजारी बंदोबस्त (5 वर्षीय)	रु. 2. 40	धान 2.5 खंडी, उड़द 5 पायली, तेल 2 सेर	हलों की प्रारंभिक गणना; मालगुजारी व्यवस्था का औपचारिक सूत्रपात।
संवत् 1929 (1872 ई.)	द्वितीय बंदोबस्त	रु. 3	धान 3 खंडी	कृषकों के तीव्र प्रतिरोध के कारण दर वृद्धि वापस ली गई।
संवत् 1934 (1877 ई.)	दौलत राव बंदोबस्त (10 वर्षीय)	रु. 3	धान 3 खंडी, उड़द 5 पायली, तेल 2 सेर	पुरानी हल गणना पर ही दरों में वृद्धि; किसानों पर आर्थिक दबाव बढ़ा।
संवत् 1936 (1879 ई.)	कुँवर दुर्जन सिंह	रु. 3. 15	पूर्ववत	बढ़े हुए हलों (मुनाफा नांगर) का 3/4 भाग मालगुजारों के लाभ हेतु छोड़ा गया, 1/4 पर राज्य कर लगा।

इस व्यवस्था ने मालगुजारों (गौंटियों/ठेकेदारों) को अत्यधिक विशेषाधिकार संपन्न बना दिया। कई मालगुजार बिना स्वयं खेती (सीर भूमि) किए केवल बढ़े हुए हलों के लगान और किसानों से मिलने वाली 'भेंट–बेगार' के सहारे समृद्ध होते रहे।

राय साहब पंडित आलमचंद का संक्षिप्त बंदोबस्त (1898 ई.) एवं कैडस्ट्रल सुधार

बीज–क्षमता आधारित आकलन पद्धति

1898 में राय साहब आलमचंद द्वारा अपनाई गई प्रणाली व्यावहारिक और त्वरित थीरू

1. **बीज–क्षमता (Seed Capacity) का पैमाना:** खेतों की उत्पादकता का हिसाब खंडी में बीज बोने की क्षमता से लगाया गया। विकसित क्षेत्रों में 7.5 खंडी = 1 नागर तथा वन क्षेत्रों में 8.5 खंडी = 1 नागर माना गया।

2. **शाम की मवेशी गणना:** पटवारियों और कानूनगो द्वारा शाम के समय बाड़ों में लौटते समय हल–मवेशियों की वास्तविक गिनती करके आंकड़ों का सत्यापन किया गया।

3. **वित्तीय परिणाम:** प्रति हल की दर बढ़ाकर 4 से 7 रुपये के बीच की गई, जिसमें से 20 से 25 प्रतिशत हिस्सा गाँव के मुखिया (मालगुजार/गौंटिया) के लिए सुरक्षित रखा गया।

नियमित एवं कैडस्ट्रल सर्वेक्षण (1897–1904 ई.)

दिसंबर 1897 में खालसा क्षेत्र का भू–कर सर्वेक्षण (Cadastral survey) प्रारंभ हुआ। 1904 में जगदलपुर तहसील के 486 गाँवों में 10–वर्षीय नियमित बंदोबस्त लागू किया गया, जबकि सुदूर क्षेत्रों में सरलीकृत नांगर व्यवस्था ही जारी रखी गई।

उपकर (Cesses), गैर–कृषि कर और सामंती विशेषाधिकार

भू–राजस्व के अतिरिक्त बस्तर के शासकों एवं प्रशासकों द्वारा विभिन्न पारंपरिक उपकर वसूले जाते थे:

- **पान पियाई :** यह एक सार्वभौमिक 'व्यक्ति कर' (Poll–Tax) था, जो पेयजल के उपयोग के बदले प्रत्येक व्यक्ति से दीवानों के माध्यम से वसूला जाता था।

- **पटवारी उपकर एवं दशहरा टीका:** जगदलपुर में 3 पैसे प्रति रुपया लगान तथा अन्य तहसीलों में 1 आना प्रति रुपया लगान की दर से पटवारी उपकर लिया जाता था। दशहरा पर्व पर 'दशहरा टीका' के रूप में 8 आने से 3 रुपये तक नजराना लिया जाता था।

- **घईता पोनी (Ghaita Poni):** यह एक सामंती प्रथा थी, जिसके तहत राजा को चार जातियों (सुंडी, कलार, धोबी, पनारा) की विधवाओं एवं परित्यक्ताओं की नीलामी का अधिकार प्राप्त था। राजा के दूत यह पता लगाते थे कि ऐसी विधवाएं कहाँ – कहाँ है। उन्हें परगनों के मुख्यालयों में लाया जाता था जहाँ वे रहती थी और सबसे अधिक मूल्य देने वालों को सौंप दी जाती थीं। खरीदने वाला हमेशा उसी जाति का होता था जिस जाति की स्त्री होती थी। विधवा के देवर को यह अनुमति थी कि वह राजा को नजराना देने के बाद उसे अपने पास रख सकता था, अन्यथा राजा को पूरा अधिकार होता था कि उसे सबसे अधिक मूल्य देने वाले को दे दे।

- **प्रशासनिक व धार्मिक एकाधिकार:** शासक द्वारा निम्न जातियों को 'जनेऊ' बेचना, जातियों की 'मुखियागिरी' नीलाम करना तथा निजी आयोजनों (तीर्थयात्रा, हाथी खरीद) पर 'स्वेच्छादान' वसूलना नियमित आय के स्रोत थे।

- **तुमसाड़ी (Tumsari):** जगदलपुर नगर के बाहर निमानंदी बैरागी मठ को प्राप्त राजकीय सनद, जिसके तहत महंत पूरे राज्य के रैयतों से लौकी (तूमा) के पात्र में भिक्षा/चंदा वसूलते थे।

भू–धृति अधिकार, मुआफी एवं जमींदारियाँ

1. कृषकों एवं ठेकेदारों की स्थिति

रैयतों को भूमि बेचने या बंधक रखने का अधिकार नहीं था, किंतु भूमि वंशानुगत थी। निश्चित लगान चुकाने तक उन्हें बेदखल नहीं किया जा सकता था। 12 वर्षों तक लगातार गाँव का प्रबंधन करने और सुधार करने वाले ठेकेदारों को श्संरक्षित दर्जाश प्राप्त होता था। ठेकेदार को प्रति रैयत प्रति वर्ष 3 दिन की बेगार कराने का अधिकार था।

2. मुआफी (राजस्व–मुक्त अनुदान)

राज्य की कुल राजस्व–मुक्त मुआफी लगभग 52,000 रुपये की थी, जिसमें राजपरिवार के सदस्यों के अधीन लगभग 30,000 रुपये मूल्य के गाँव, दंतेष्वरी एवं अन्य मंदिरों के रख–रखाव हेतु लगभग 16,000 रुपये तथा कोटवारों (ग्रामीण चौकीदारों) को सेवा–भूमि के रूप में कर–मुक्त भूमि दी जाती थी।

3. जमींदारियों की विधिक संरचना

बस्तर की 7 प्रमुख जमींदारियाँ—सुकमा, भोपालपटनम, कुटरू, परलकोट, चिंतलनार, कोटपाल और फुतकेलकृअविभाज्य और अहस्तांतरणीय थीं। इनमें जेष्ठाधिकार (Primogeniture) का नियम लागू था और महिलाओं को उत्तराधिकार से वंचित रखा गया था। जमींदारों को वनों, आबकारी और भू–राजस्व का आंतरिक अधिकार था, किंतु पुलिस और संप्रभु शक्तियां राज्य के अधीन थीं।

निष्कर्ष

19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बस्तर की भू–राजस्व व्यवस्था वस्तुतः आदिम–सामंती परंपराओं और ब्रिटिश उपयोगितावादी प्रशासनिक नीतियों का एक जटिल मिश्रण थी। प्रारंभिक दौर में जहाँ कर निर्धारण हल ('नांगर') और बीज–क्षमता जैसी प्राकृतिक इकाइयों पर आधारित था, वहीं 19वीं सदी के अंत तक यह 'मृदा–इकाई प्रणाली' और कैडस्ट्रल सर्वेक्षणों की ओर मुड़ गया। हालाँकि इस प्रशासनिक पुनर्गठन से राज्य के राजकोष में निरंतर वृद्धि हुई, किंतु इसने पारंपरिक जनजातीय स्वायत्तता को समाप्त कर दिया। मालगुजारों को दिए गए अत्यधिक संरक्षण, भेंट–बेगार, घईता पोनी और मनमाने उपकरों ने स्थानीय रैयतों को गंभीर आर्थिक संकट में धकेल दिया। अंततः इसी आर्थिक व प्रशासनिक शोषण की संचित परिणति आगे चलकर 1910 के ऐतिहासिक 'भूमकाल विद्रोह' के रूप में सामने आई।

संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

1. इलियट, सी., रिपोर्ट ऑन द बस्तर स्टेट एंड द डिपेंडेंसीज ऑफ द रायपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल प्रोविंसेज एडमिनिस्ट्रेशन, 1856
2. चौपमैन, आर., नोट ऑन द लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स एंड टेन्योर्स इन द बस्तर फ्यूडेटरी स्टेट, गवर्नमेंट प्रेस, नागपुर, 1898
3. बेरी, बी., करस्पॉन्डेंस ऑन द ठेकेदारी एंड मालगुजारी सेटलमेंट्स ऑफ बस्तर स्टेट, कमिश्नर्स ऑफिस, छत्तीसगढ़ डिवीजन

4. रसेल, आर. वी., सेंट्रल प्रोविंसेज डिस्ट्रिक्ट गजेटियर्स: छत्तीसगढ़ फ्यूडेटरी स्टेट्स, बॉम्बे टाइम्स प्रेस, 1909
5. शुक्ला, एच. एल., हिस्ट्री ऑफ द पीपल ऑफ बस्तर: अ स्टडी इन ट्राइबल इन्सर्जेंसी, दिल्ली: बी. आर. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, 1988
6. जेनकिंस, रिचर्ड, रिपोर्ट आन द टेरिटरिस आफ द राजा आफ नागपुर, गवर्नमेंट प्रेस, कलकत्ता,1827
7. एगन्यू.पी. वांस, ए रिपोर्ट आन दी सूबा आर प्राविंस आफ छत्तीसगढ़ 1820, गवर्नमेंट प्रेस आफ सेंट्रल प्राविंस,नागपुर, 1915
8. एचीसन, सी.यू., ए कलेक्शन आफ ट्रीटीज इंगेजमेंट्स एंड सनद्स अंक 1,गवर्नमेंट प्रेस,कलकत्ता, 1909
9. माल्कम, जॉन, ए मेमायर्स आफ सेण्ट्रल इण्डिया इंक्लुडिंग मालवा एंड एडजॉयनिंग प्राविंसेस, अंक 2, कैंब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, लंदन, 1823,
10. रिपोर्ट आफ द एडमिनिस्ट्रेशन आफ सी. पी. एण्ड बरार, गवर्नमेंट प्रेस नागपुर, 1910–11
11. टेम्पल, रिचर्ड, रिपोर्ट आन द जमींदारीस एंड अदर पेटी चीफटेन्सिस 1863, गवर्नमेंट प्रेस,नागपुर (रिप्रिंट 1901)
12. सिन्हा, एच.एन., सिलेक्शन फ्राम नागपुर रेसीडेंसी रिकाड्र्स, 4 खंड, नागपुर 1942